न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–17 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
महादेव मंदिर होटलू मूर्ति शाश्वत अवयस्क जरियें मंहत जनकपूरी चेला मंहत मुकुन्दपूरी निवासी होटलू तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.ओमप्रकाश पुत्र भूरालाल 2.मदनलाल पुत्र भूरालाल 3.राधेश्याम पुत्र भूरालाल 4.शंकरलाल पुत्र भूरालाल जाति पालीवाल निवासी रामसीन तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 5.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री करणसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादी एकतरफा।

Signature Not Verified

निर्णय

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 17.

10.4.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 417/228 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर व खसरा संख्या 461/273 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टयर भूमि महादेव मंदिर होटलू की खातेदारी में अवस्थित है। खसरा संख्या 417/228 व 461/273 के बीच में सें होकर बालोतरा–समदड़ी स्टेट हाईवे सड़क बनी हुई है,जिसके किनारे ही उतरी सीमा में महादेव मंदिर पुश्तैनी बना हुआ है,जिसके खसरा संख्या 229 क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की ही है और महादेव मंदिर व अन्य देवी देवताओं के मंन्दिर भी उक्त वादग्रस्त भूमि में बने हुए है। लेकिन वक्त बंदोबस्त के समय तत्कालीन अधिकारीयों की भूलवंश वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में इन्द्राज कर दी गई। जबकि प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक हकूक निहित नहीं है,जब प्रतिवादी को उक्त त्रुटि दुरूस्त करवानें का कहां गया,तो उन द्वारा आना कानी की गई। इस कारण वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 229 के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत खातेदारी प्रविष्टि को विलोपित करवाते हुए वादी की खातेदारी में धोषित करवानें का वाद पेश किया गया।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादी को जरीये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण के रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश न्यायालय में दिनांक 15.2.2023 को उपस्थित हुए थे। लेकिन अपनी ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया और न ही वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादी बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही वकालतनामा पेश किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही और वादी साक्ष्य गवाहान में पी.डब्ल्यू–01 स्वंय मंहत श्री जनकपुरी चेला मंहत मुकुन्दपूरी,पी.डब्ल्यू–02 मोड़ाराम व पी.डब्ल्यम–03 उकाराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.–01 ग्राम होटलू तहसील पचपदरा

10.4.2023
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:28 IST
Reason: SelfAttested

की खसरा संख्या 417/228 व 461/273 जमाबंदी संवत 2079–2082, ई.एक्स.पी.–02 ग्राम होटलू की खसरा संख्या 229 की खसरा नक्शा एवं जमाबंदी, ई.एक्स.पी.–03 ग्राम होटलू की खसरा संख्या 229 व 316/74 जमाबंदी संवत 2079 से 2082, ई.एक्स.पी.–04 ग्राम होटलू की खसरा संख्या 74 व 229 जमाबंदी संवत 2010 से 2013 तक व ई.एक्स.पी.–05 ग्राम होटलू की खसरा संख्या 229 व 316/74 जमाबंदी संवत 2066 से 2069 तक प्रदर्शित करवाई गई।

3.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वाद के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 417/228 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर व खसरा संख्या 461/273 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टयर भूमि महादेव मंदिर होटलू की खातेदारी में अवस्थित है। खसरा संख्या 417/228 व 461/273 के बीच में सें होकर बालोतरा–समदड़ी स्टेट हाईवे सड़क बनी हुई है,जिसके किनारे ही उतरी सीमा में महादेव मंदिर पुश्तैनी बना हुआ है,जिसके खसरा संख्या 229 क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की ही है और महादेव मंदिर व अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी उक्त वादग्रस्त भूमि में बने हुए है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 229 मूल खसरा संख्या 228 व 273 के बीचों बीच आया हुआ है और उक्त वादग्रस्त भूमि पर महादेव जी का बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है। जो धार्मिक स्थल होने के कारण भक्तजन पूजा अर्चना करने आते है। वक्त बंदोबस्त वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में इन्द्राज होने के उपरांत भी भूलवंश प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में इन्द्राज कर दी गई। जबकि रेकर्ड रद्दोबदल करने का कोई विधिक अधिकार अथवा आदेश नहीं था। जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्राचीन महादेव जी मंदिर व अन्य हिन्दू देवी देवताओं के [illegible] इत्या[illegible] बने हुए है और मंहत श्री जनकपूरी चेला मंहत मुकुन्दपूरी द्वारा मंदिर पूजा अर्चना [illegible] देखभाल का कार्य किया जा रहा है। लेकिन वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम गलत इ[illegible] का नाजायज फायदा उठाकर वादी को परेशान किया जा रहा है और रेकर्ड में हुए त्रुटि को दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:28 IST
Reason: SelfAttested

10.4.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करवाने के लिए प्रतिवादी को कहां गया,तो केवलमात्र दुरूस्ती करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आश्वासन ही दिया जाता रहा,लेकिन दुरूस्ती नहीं करवाई गई,इस कारण वादी की ओर से रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का वाद लाया गया है। जो कि वादी पक्ष हकदार भी है,क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से आदिनांक वादी ही एकमात्र काबिज है। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक हकूक निहित नहीं है। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान से भी प्रमाणित है,कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त वादी की खातेदारी की थी और जो बाद रेकर्ड संधारण करते वक्त भूलवंश प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में इन्द्राज हो गई थी,जो कि एक प्रकार से रेकर्ड एरर त्रुटि है,जो कि साक्ष्य सबूतो के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 4 की खातेदारी विलोपित की जाकर वादी की खातेदारी धोषित की जावें।

04. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी के वाद का मुख्य आधार है,कि ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 417/228 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टयर व खसरा संख्या 461/273 क्षेत्रफल 0.3642 हैक्टयर भूमि महादेव मंदिर होटलू की खातेदारी में अवस्थित है। खसरा संख्या 417/228 व 461/273 के बीच में सें होकर बालोतरा–समदड़ी स्टेट हाईवे सड़क बनी हुई है,जिसके किनारे ही उतरी सीमा में महादेव मंदिर पुश्तैनी बना हुआ है,जिसके खसरा संख्या 229 क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की ही थी,लेकिन भूलवंश प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में इन्द्राज हो [illegible] गई,जो दुरूस्ती की जाकर वादी की खातेदारी में धोषित की जावे। [illegible] क्योंकि वादग्रस्त भूमि का खसरा नक्शा व जमाबंदी अवलोकन करते है,तो महादेव मंदिर होटलू की खातेदारी खसरा संख्या 417/228 के अन्दर ही लगते सड़क के समीप खसरा संख्या 229 अवस्थित है,जो कि प्राचीन महादेव मंदिर का ही एक भाग है। उक्त तथ्यो की पुष्टि ई.एक्स.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:28 IST
Reason: SelfAttested

10.4.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पी.-04 जमांबदी संवत 2010 से 2013 के अवलोकन से स्पष्ट साबित है,कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 229 श्री बनाम मंदिर के नाम इन्द्राज थी और तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज हुई,जो कि एक प्रकार से रेकर्ड एरर के तहत इन्द्राज होना पाया जाता है। जबकि बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय राजस्व विभाग के कर्मचारी/अधिकारी को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक होता है,जो कि उक्त प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है,कि वादग्रस्त भूमि किस आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में खातेदारी दर्ज की गई। जो कि केवलमात्र यहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में रेकर्ड संधारण करते समय भूलवंश इन्द्राज हुए है,जो कि अपने आप में विधि विरूद्ध है। क्योकि रेकर्ड संधारण में हुए गलती के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने नाम से किसी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं। उसके लिए मौका स्थिति व दस्तावेजी साक्ष्य सबूत होने अति आवश्यक होते है। जो कि वादी की ओर से दस्तावेजी सबूतो व साक्ष्य गवाहान से प्रमाणित है,कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम गलत इन्द्राज हो रखी है,जो कि वादी पक्ष अपनी खातेदारी में धोषित करवाने का हकदार है। वादी की ओर से स्वतंत्र गवाहान के बयानात से भी यहीं साबित होता है,कि वादग्रस्त भूमि महादेव मंदिर की है। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष बावजूद रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामील के उपस्थित नहीं पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी पक्ष को यह भली भांति ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि के संबध में वादी पक्ष द्वारा खातेदारी धोषित करवाने का वाद लाया गया है और प्रतिवादी सं[illegible]प्रकाश स्वंय न्यायालय में पेशी तारीख 15.2.2023 को उपस्थि[illegible] के संबध में कोई जबाव अथवा प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया। इससे न्या[illegible]य को यह प्रतीत होता है कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने की प्रतिवादी पक्ष की मौन स्वीकृति है। यदि प्रतिवादी पक्ष को कोई उजर एतराज होता तो अपनी ओर से पैरवी करते,लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

10.4.2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ऐसा प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के उपरांत साबित होता है कि वादी अपना वाद स्वीकार करने में सफल रहा है।

5.लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 229 क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी विलोपित करते हुए वादी की खातेदारी धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 10.4.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.4.2023

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:28 IST
Reason: SelfAttested